| आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

29/4/19

# न्यायालय, समाहर्ता सहरसा

## आपूर्ति विविध वाद सं0 14/15

आर्य कुमार पिता हेमन्त कुमार ठाकुर, बालभोग आटा मिल, श्रेयन माईक्रो इन्डस्ट्रीज गौतम नगर वार्ड नं0 11, जिला सहरसा

बनाम

बिहार सरकार

.....

### आदेश

प्रस्तुत आपूर्ति विविध वाद आर्य कुमार पिता हेमन्त कुमार ठाकुर, बालभोग आटा मिल, श्रेयन माईक्रो इन्डस्ट्रीज, वार्ड नं0 11, गौतम नगर, सहरसा के द्वारा जप्ती केश नं0 122/12–13 में समाहर्ता, सहरसा द्वारा दिनांक 17.12.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर अपील वाद सं0 26/15 में दि0 07.09.2015 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु दायर की गई है।

आवेदक का कथन है कि इनके पिता के द्वारा गौतम नगर वार्ड नं0 11 में बाल भोग आटा मिल, श्रेयन माईक्रो इन्डस्ट्रीज के नाम से गेहूँ के आटा का व्यापार किया जा रहा था। जिसमें संदेह के आधार पर प्रशासन के द्वारा 131.55 क्वीं0 गेहूँ जप्त कर लिया गया था। आवेदक का कथन है कि वाद सं0 122/2012–13 में दिनांक 17.12.2014 को यह आदेश पारित किया गया कि जप्त गेहूँ को ए0 पी0 एल0 दर पर बेच कर राशि कोषागार में जमा कर दी जाय। उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा के समक्ष अपील वाद सं0 26/15 दायर किया। जिसमें जिलाधिकारी के आदेश दि0 17.12.2014 को निरस्त करते हुए गेहूँ मुक्त करने अथवा बेची गई गेहूँ का मूल्य आवश्यक बंध पत्र प्राप्त कर आवेदक को वापस करने का आदेश दिया गया है। इन्होंने उपरोक्त न्यायादेश के आलोक में राशि वापस करने का अनुरोध किया है।

वाद सं0 26/2015 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सहरसा द्वारा दिनांक 07.09.2015 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्न है–

> *"There is no evidence at all against the appellant to initiate a confiscation proceeding and seized his grains, as seized by the police which is mentioned in the FIR. The seizure list clearly shows that 131.55 quintals of wheat has been sized. It is abundantly clear that the seized wheat*

अनुसूची 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक– II

| आदेश की क्रम सं० एवं तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पत्र में की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

*have been wrongly sized by the authority and confiscation proceeding was unnecessarily drawn against the appellant and confiscation proceeding is illegal, bad in law and contrary to the provision of C.C.Act and Govt. order and circular and confiscation case bearing no. 122 of 2012-13 is hereby set aside and the appeal is allowed and the learned District Magistrate, Saharsa is ordered to release the all seized wheat bags as per seizure list given in the F.I.R and sized by the in-charge D.S.O Sri Kumar Kishor Jha on 29-10-11 is released in favour of appellant and in the event of selling seized grains the price so deposited will be released in favour of appellant on furnishing proper bond. "*

उल्लेखनीय है कि अधिग्रहण वाद सं0 122/ 2012–13 में दिनांक 07.12.2014 को पारित आदेश में तत्कालीन समाहर्ता ने यह उल्लेख किया है कि–

" परिवादी द्वारा दिया गया कारण पृच्छा के साथ कोई कागजात संलग्न नहीं किया है अतः यह कारण पृच्छा स्वीकार्य नहीं है। जप्त 131.55 क्वीं0 गेहूँ को अधिग्रहित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को निदेशित किया जाता है कि उक्त गेहूँ जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से ए0 पी0 एल0 दर पर बिक्री करवाकर प्राप्त राशि कोषागार में उचित शीर्ष अंतर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें"।

यद्यपि अभिलेख में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश के आलोक में कौन–सी कार्रवाई की गई, इसका उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा को आदेश दिया जाता है कि विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संदर्भित आदेश के आलोक में अधिग्रहित खाद्यान्न/ जमा की गई राशि आवेदक (बालभोग आटा मिल, श्रेयन माइक्रो इन्डस्ट्रीज मिल के स्वामी) से समतुल्य राशि का बंध पत्र प्राप्त कर जप्त खाद्यान्न /राशि मुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

समाहर्ता,
सहरसा

समाहर्ता,
सहरसा

ज्ञापांक 384 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को उन्हें पूर्व में प्रषित ज्ञापांक 3014–2/जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 23.12.2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

25/7/19